न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 60/2018

निर्णय दिनांक– 03.07.2019

उनवान

गायत्री पत्नी पप्पूलाल जाति मीना निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीयां

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति मीना निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार उनियारा

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबतस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री बी0यू0खान वकील प्रार्थीयां

श्री बी0पी0मीणा वकील प्रतिपक्षी न0 1

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीयां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 552 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी से प्रतिपक्षी का कोई सम्बन्ध नही है तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीया के कब्जे काश्त म चली आ रही है। प्रतिपक्षी आये दिन प्रार्थीया को परेशान करता है तथा उक्त खातेदारी को छीनने पर आमादा है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा येन केन प्रकारेण बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। प्रथम दृष्टया केस , सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रतिपक्षी को न होकर प्रार्थीया को अधिक होगी। प्रतिपक्षी द्वारा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गई, इस कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीयां के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 552 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा मे प्रार्थीया के 1/2 हिस्से की आराजीयात मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया प्रतिपक्षी की पत्नी थी तथा प्रतिपक्षी व उसके भाई रामजीलाल द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी तत्कालीन खातेदार रामपाल गुर्जर निवासी गाडोली से प्रार्थीया व प्रतिपक्षी के भाई की पत्नी पार्वतीदेवी पत्नी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

रामजीलाल मीना निवासी अल्लापुरा के नाम से खरीद की थी, जिसमे समस्त खर्चा प्रतिपक्षी व उसके भाई रामजीलाल ने ही किया था। खरीद के समय से ही 1/2 हिस्से पर प्रतिपक्षी व व1/2 हिस्से पर पार्वती व उसका पति रामजीलाल काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया व प्रतिपक्षी के मध्य आज से करीब 15–16 वर्षो पूर्व बिगाड हो गया था तथा प्रार्थीया तब से ही अपने पीहर ग्राम जौंला मे निवास कर रही है। जिसका कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा । खरीद के समय से ही प्रतिपक्षी का कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र अपनी पत्नी प्रार्थीया के नाम से खरीदने के कारण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार प्रार्थीया के नाम दर्ज हो गया, जबकि उसका वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है और ना ही कभी उसका कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थीया के दि लमे बेईमानी आने लग गई है वह उक्त आराजी से प्रतिपक्षी को बेदखल कर रहन बैचान करना चाहती है, जिसके सम्बन्ध मे प्रतिपक्षी ने माननीय न्यायालय मे एक वाद बउनवानी पप्पूलाल बनाम गायत्री आदि बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किा हुआ है, जिसमे न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को स्थगन आदेश से पाबन्द किया हुआ है। इस कारण भी प्रार्थीया का उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।प्रार्थीया प्रतिपक्षी को किसी प्रकार से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। यदि प्रतिपक्षी को पाबन्द कर दिया गया तो इसकी आड मे प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर देगी, जिससे प्रतिपक्षी तबाह व बरबाद हो जावेगा। प्रार्थीया का उक्त केस प्राईमाफेसाई तोर पर ही ससाबित नही है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को न होकर प्रतिपक्षी को ही अधिक होगी। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार न्यायालय का विवेचन निम्नवत हैः–

1.प्रथम दृष्टया केसः– नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 552 रकबा 2.02 है0 गायत्री पत्नी पप्पू हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी रामजीलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह सही है कि उक्त गायत्री प्रतिपक्षी न0 1 की पत्नी है तथा उसके ही खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। प्रतिपक्षी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी उसके द्वारा ही अपनी पत्नी के नाम खरीद की थी, इस सम्बन्ध मे उसके द्वारा कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नही किया है। रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के नाम खातेदारी मे है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रतिपक्षी के अपेक्षा प्रार्थीया के पक्ष मे अधिक पाया जाता है।

2.सुविधा का संतुलनः–उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के नाम खातेदारी मे होने से सुविधा का संतुलन भी प्रतिपक्षी की अपेक्षा प्रार्थीया के पक्ष मे ही अधिक है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

3.अपूर्णीय क्षतिः—प्रार्थीया वकील ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीया उक्त आराजी को रहन बैचान व खुर्द बुर्द नही करना चाहती है। यदि प्रार्थीया खुर्द बुर्द करना चाहती तो अब तक उक्त आराजी को अन्य किसी को बैचान कर सकती थी। जब प्रार्थीया उक्त आराजी को बैचान व खुर्द बुर्द ही नही कर रही है तो अपूर्णीय क्षति प्रतिपक्षी को किसी प्रकार से नही हो रही है। यदि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावेगा तो उसका पति उसको वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर देगा। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षी की अपेक्षा प्रार्थीया को ही अधिक होगी।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षी की अपेक्षा प्रार्थीया को ही अधिक है। न्यायालय प्रार्थीया का प्रा0 पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी न0 1 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 552 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, और ना ही काश्त मे बाधा डाले।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner